ADRM/ADA

<u>दक्षिण पूर्व रेलवे</u>

कार्यालय, महाप्रबंधक (राजभाषा),
<u>गार्डनरीच, कोलकाता-700043</u>

सं. का/हिंदी/20/2/3/हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर

दिनांक : 13.03.2014

Recd 27/3

समस्त प्रमुख/समन्वयक विभागाध्यक्ष,
द. पू. रेलवे मुख्यालय/कोलकाता,
समस्त मंडल रेल प्रबंधक,
आद्रा, चक्रधरपुर, खड़गपुर एवं रांची,
समस्त अपर मंडल रेल प्रबंधक,
आद्रा, चक्रधरपुर, खड़गपुर एवं रांची,
मुख्य कारखाना प्रबंधक, खड़गपुर,
उप मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर (उत्पादन),
प्राचार्य, क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/सीनी,
प्राचार्च, रेल सुरक्षा बल प्रशिक्षण विद्यालय/खड़गपुर,
प्राचार्य, पर्यवेक्षक प्रशिक्षण केंद्र/खड़गपुर,
प्राचार्य, सिगनल एवं दूर संचार प्रशिक्षण विद्यालय/खड़गपुर,
<u>दक्षिण पूर्व रेलवे ।</u>

विषय : हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर ।

संदर्भ : (I) सलाहकार (औ.सं), रेलवे बोर्ड का महाप्रबंधक, द.पू.रेलवे को संबोधित अ.शा.पत्र सं. हिंदी-2012/रा.भा.1/19/1 दि. 23.02.2012 (प्रति संलग्न) ।

(II) इस कार्यालय का दिनांक 04;04;2013 का समसंख्यक पत्र ।

****

आपको विदित है कि राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिया जाना अनिवार्य है । उसी प्रकार राजभाषा नियम 1976 के नियम 7(2) के अनुसार जब कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी में किया गया हो अथवा उस पर हिंदी में हस्ताक्षर किया गया हो तब उसका उत्तर हिंदी में दिया जाएगा ।

रेलवे बोर्ड के संदर्भाधीन पत्र (प्रति संलग्न) की मद सं. 3 की ओर आपका ध्यान पुनः आकृष्ट किया जाता है जिसमें कहा गया है कि **हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाए । जिन पत्रों का उत्तर अपेक्षित नहीं होता, उनकी भी पावती दी जाए ।**

अतः अनुरोध है कि रेलवे बोर्ड के उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

संलग्न : यथोक्त ।

13/3/14

(राजा राम प्रसाद)
उप महाप्रबंधक (राजभाषा)
कृते **<u>महाप्रबंधक (रा.भा.)</u>**